

14-8-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्राची अस्थित प्रकरण से तहसीलदार बंगूर के पत्र क्र. स/सू. अ/पावरगढी/2024/2636 दिनांक 16-7-24 से पावरगढी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्राचीया धायू द्वारा अपनी सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया जाने से प्राचीया का प्रा.पत्र अ-धा. 1284 RA का खारिज किया जाता है। पत्रावली यौसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

५५